

2018/00/00

100/2018

From No. III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत (मुकाम)
 उपरखण्ड अधिकारी
 देवी पी. बाबूचिटे बापणा राजपूत बनाम
 किस्म मुकदमा नं. 100/2018 सन्

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए ।
5/5/18	<p>पार्थी देवी पुत्री एका बाबूचिटे को म बापणा राजपूत ने अपील चिठ्ठु देखा इस आवाज की पेश कि सरहड मौजा धामली के खण्ड नं 483 बरका मयु कीका अपीलोट के पिता के नाम दर्ज है। अपीलोट के पिता के देहान्त होने पर देखा 3 छरा मिलान कर अपीलोट व उनकी माता का नाम दर्ज न कर पिता के नाम दर्ज हेतु नामान्तरण नं 250 स्वीकृत करवा लिया जा कि गलत है। क्योंकि एका बाबूचिटे के विधिक वारिसान की जिना रोड जांच छिपे पर अपीलोटकी नानक सों 250 बधापते नहीं शप कर कपाल छिप जाकर बाबूचिटे के विधिक वारिसान के नाम दर्ज छिप जावे। अपील अपीलोट दर्ज सजस्य न जावे। देखा 3 नं 250 के अन्तर् प्रतिनिधि ने विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज कर हेतु सलमान की की एका बाबूचिटे के विधिक वारिसान की पार्श्व</p>	<p>R. नं: 2 देवी</p>

